संचिका सं०–17/ए०सी०पी०–03/2012 – 631(17)

**बिहार सरकार**

**स्वास्थ्य विभाग**

**प्रेषक,**

**सुरेश कुमार शर्मा,**
**सरकार के संयुक्त सचिव।**

सेवा में,

प्राचार्य/अधीक्षक,
राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल।

**पटना, दिनांक–** 2/9/14

**विषय :–** **राज्य के चिकित्सक शिक्षकों को दिनांक 01.01.2006 से डायनेमिक ए०सी०पी० की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3768 दिनांक 29.04.2014 एवं 1900 वि० दिनांक 25.02.2014 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि चिकित्सक शिक्षकों को जिनकी सेवा 01.01.2006 को 12 एवं 18 वर्षो की है को दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से डायनेमिक ए०सी०पी० वैचारिक रूप से एवं वास्तविक लाभ फरवरी 2014 से भुगतेय होगा की स्वीकृति की कार्रवाई की जानी है।

ज्ञातव्य है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–602(17) दिनांक 22.08.2014 द्वारा डायनेमिक ए०सी०पी० की अधिसूचना संख्या–1224(17) दिनांक 25.11.2011 एवं अधिसूचना संख्या–429(17) दिनांक 27.03.2012 द्वारा स्वीकृत डायनेमिक ए०सी०पी० के संशोधन का आदेश निर्गत किया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना द्वारा जिन चिकित्सक शिक्षकों को पूर्व की देय तिथि को संशोधित किया गया है को छोड़कर अपने महाविद्यालय के वैसे चिकित्सक शिक्षकों जिनकी सेवा 01.01.2006 अथवा इसके उपरांत की तिथि को 12 एवं 18 वर्षो की सेवा पूर्ण होती है को डायनेमिक ए०सी०पी० स्वीकृति हेतु उनसे आवेदन पत्र, सेवा इतिहास एवं उनको अनुमान्य डायनेमिक ए०सी०पी० की तिथि के पाँच वर्ष पूर्व की गोपनीय चारित्री पुस्ति भेजा जाय। साथ ही विभागीय पत्रांक–429(17) दिनांक 26.03.2013 द्वारा जिन 32 चिकित्सक शिक्षकों की गोपनीय चारित्री पुस्ति की माँग की गयी थी, उन चिकित्सक शिक्षकों का भी गोपनीय चारित्री 01.01.2006 अथवा डायनेमिक ए०सी०पी० देय तिथि के पाँच वर्ष पूर्व का नहीं भेजा गया है उसे भी भेजा जाय। जिससे उनके संबंध में भी वित्त विभागीय संकल्प के आलोक में 01.01.2006 से अथवा इसके बाद देय तिथि से डायनेमिक ए०सी०पी० की स्वीकृति की कार्रवाई की जा सके।

**अनुलग्नक :–यथोक्त।**

**विश्वासभाजन**

**(सुरेश कुमार शर्मा)**
**सरकार के संयुक्त सचिव।**

**ज्ञापांक :–17/ए०सी०पी०–03/2012** – 631(17) **पटना, दिनांक :–** 2/9/14

**प्रतिलिपि** :–आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**सरकार के संयुक्त सचिव।**

E:/folder R.N.K. Sinha/ Letter-1

1185

संख्या-3ए-2-वे0पु0-05/2014-3768

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

दिनांकः-29/04/2014

**विषयः-बिहार स्वास्थ्य सेवा/बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के वेतनादि के संशोधन के संबंध में ।**

वित्त विभाग, बिहार के संकल्प सं0 1900, दिनांक 25/02/2014 के द्वारा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में वेतन निर्धारण एवं डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोगेशन (डी0ए0सी0पी0) के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है ।

Sec-17 29/4/14

2. इस संकल्प की कंडिका 3 (iv) में यह अंकित है कि- "राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण नोशनल तौर पर लागू किया गया था । इसके आलोक में राज्य स्वास्थ्य सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा सेवा के चिकित्सकों को दिनांक 25/11/2008 से अनुमान्य डी0ए0सी0पी0 की प्रभावी तिथि में संशोधन करते हुए दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से इसे वैचारिक (नोशनल) तौर पर लागू होगा । इसके आधार पर वेतन की गणना करते हुए वास्तविक लाभ इस संकल्प के निर्गत होने के माह अर्थात् फरवरी, 2014 से भुगतेय होगा ।"

3. वित्त विभाग के संकल्प सं0 1900 दिनांक- 25/02/2014 की कंडिका- 3(iv) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है- "बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के चिकित्सा शिक्षकों को स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना सं0 1217(17) दिनांक 13/10/2008 एवं बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों को वित्त विभाग की अधिसूचना सं0 279, दिनांक 25/11/2008 द्वारा डी0ए0सी0पी0 का लाभ अनुमान्य किया गया है । डी0ए0सी0पी0 की प्रभावी तिथि में संशोधन करते हुए दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से इसे वैचारिक तौर पर लागू किया जाता है तथा इस तिथि परिवर्तन के क्रम में गणना की गयी वेतनवृद्धि का वास्तविक लाभ फरवरी, 2014 से अनुमान्य होगा । परन्तु बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के चिकित्सा शिक्षकों को दिनांक 13/10/2008 से तथा बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों को दिनांक 25/11/2008 से स्वीकृत/भुगतेय डी0ए0सी0पी0 का लाभ बरकरार रहेगा तथा यह वसूलनीय नहीं होगी ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29.4.14

**(प्रभात शंकर)**

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः-3ए-2-वे0पु0-05/2014-3768 पटना, दिनांकः-29/04/2014

प्रतिलिपिः-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः-3ए-2-वे0पु0-05/2014-3768 पटना, दिनांकः-29/04/2014

प्रतिलिपिः-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः-3ए-2-वे0पु0-05/2014-3768 पटना, दिनांकः-29/04/2014

प्रतिलिपिः-प्रभारी पदाधिकारी (वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः-3ए-2-वे0पु0-05/2014-3768 पटना, दिनांकः-29/04/2014

प्रतिलिपिः-ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को बिहार सरकार के आगामी असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि गजट की 1000 मुद्रित प्रतियाँ प्रशाखा-3ए, वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग ।

Sankalp of Health Service./rk

संख्या-3ए-2-वे0पु0-05/2014-1900-वि0, दिनांकः-25/02/2014

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

**विषयः-बिहार स्वास्थ्य सेवा/बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के वेतनादि के संशोधन के संबंध में ।**

बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा पदाधिकारियों एवं शैक्षणिक संवर्ग के चिकित्सा शिक्षकों के लिए वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रीमियर सेवा के लिए अनुमान्य वेतनमान एवं भत्तों की स्वीकृति प्रदान की गयी है । इसके तहत दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से संकल्प सं0 630, दिनांक 21/01/2010 से मूल कोटि के पद के लिए पे-बैंड-2 एवं ग्रेड-पे-5400/- तथा 4 वर्ष की संपुष्ट सेवा पूरी होने पर पे-बैंड-3 एवं ग्रेड-पे- 5400/- की स्वीकृति दी गयी है । पुनः इन चिकित्सा पदाधिकारियों/चिकित्सा शिक्षकों को अधिसूचना सं0 279, दिनांक 25/11/2008 के द्वारा निर्गत तिथि से डी0ए0सी0पी0 (त्रिस्तरीय) की स्वीकृति दी गयी है ।

2. बिहार चिकित्सा सेवा संघ द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत संवर्गीय पद संरचना के वेतनमान/डी0ए0सी0पी0 की प्रभावी तिथि में संशोधन की माँग की जाती रही है । संघ के माँगों पर विचारण हेतु राज्य सरकार द्वारा विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया ।

3. समिति द्वारा की गयी अनुशंसा पर निर्णय राज्य सरकार के अधीन विचाराधीन था । राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैंः-

(i) विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता और विशेषज्ञता की डिग्री (एम0डी0/एम0एस0 एवं समतुल्य तीन वर्षीय विशेषज्ञता डिग्री) प्राप्त करने में लगने वाले अतिरिक्त समय को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि सामान्य संवर्ग में कार्यरत चिकित्सक जो सेवा के दौरान विशेषज्ञता प्राप्त करते हों या जिन्हें पूर्व से विशेषज्ञता प्राप्त हो, को पी0बी0-2+ग्रेड-पे-5400/- में नियुक्ति के समय/विशेषज्ञता प्राप्त करने के बाद 3 (तीन) वेतनवृद्धि का लाभ अनुमान्य होगा । चार वर्षों के पश्चात् इनका वेतनमान पी0बी0-3+ग्रेड-पे-5400/- में वेतन निर्धारित करने के समय भी तीन वेतन वृद्धि का लाभ संरक्षित होगा अर्थात् तीन वेतनवृद्धि जोड़कर वेतन निर्धारण किया जायेगा । उसके बाद के वित्तीय उन्नयन में यह लाभ देय नहीं होगा । राज्य स्वास्थ्य सेवा के वैसे चिकित्सकों जिन्हें नियुक्ति के समय पूर्व में ही तीन वेतनवृद्धि मिल चुकी है, उन्हें इस वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया जायेगा ।

(ii) बिहार स्वास्थ्य सेवा अंतर्गत गठित विशेषज्ञ उप-संवर्ग की प्रोन्नति के (ग्रेड-पे-7600 एवं ग्रेड-पे-8700 में) 33 प्रतिशत पदों पर Lateral entry का प्रावधान होगा । लैटरल इन्ट्री के लिए प्रत्येक स्तर पर वांछित अनुभव एवं उम्रसीमा में आवश्यक छूट की अवधि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

(iii) जिन चिकित्सकों द्वारा सुपर स्पेशियलिटी की डिग्री (यथा डी0एम0, एम0सी0एच0 या इसके समकक्ष की डिग्री) राज्य स्वास्थ्य सेवा में नियुक्ति के पूर्व या बाद में प्राप्त की गयी हो

उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सक को स्वीकृत तीन वेतनवृद्धि के अतिरिक्त तीन वेतनवृद्धि अनुमान्य होगी । सुपर स्पेशियलिटी डिग्री प्राप्त चिकित्सकों की सामान्य चिकित्सक के पद पर नियुक्त होने के उपरांत 6 (छः) वेतनवृद्धि का लाभ अनुमान्य होगा । चार वर्षों के पश्चात् इनका वेतनमान पी0बी0-3, ग्रेड-पे-5400/- में वेतन निर्धारित करने के समय भी वेतनवृद्धि का यह लाभ संरक्षित होगा अर्थात् 6 (छः) वेतनवृद्धि जोड़कर वेतन निर्धारित किया जायेगा । उसके बाद के वित्तीय उन्नयन में वेतनवृद्धि का लाभ देय नहीं होगा । यदि सुपर स्पेशियलिटी की डिग्री प्राप्त चिकित्सक विशेषज्ञ ग्रेड-II, पी0बी0-3, ग्रेड-पे-6600/- में नियुक्त होते हैं तो उन्हें भी तीन अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा । सीनियर रेजिडेन्ट तथा ट्यूटर यदि यह विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें भी नियुक्ति के वेतनमान पी0बी0-2+5400/- पर तीन वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा ।

(iv) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण नोशनल तौर पर लागू किया गया था । इसके आलोक में राज्य स्वास्थ्य सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा सेवा के चिकित्सकों को दिनांक 25/11/2008 से अनुमान्य डी0ए0सी0पी0 की प्रभावी तिथि में संशोधन करते हुए दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से इसे वैचारिक (नोशनल) तौर पर लागू होगा । इसके आधार पर वेतन की गणना करते हुए वास्तविक लाभ इस संकल्प के निर्गत होने के माह अर्थात् फरवरी, 2014 से भुगतेय होगा ।

(v) इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से सभी चिकित्सकों के लिए पी0बी0-3, ग्रेड-पे-6600/- से पी0बी0-3, ग्रेड-पे-7600/- में तथा पी0बी0-3, ग्रेड-पे-7600/- से पी0बी0-4, ग्रेड-पे-8700/- में डी0ए0सी0पी0/प्रोन्नति देने के पूर्व राज्य सरकार के प्रावधान के अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा । इस संबंध में विस्तृत निर्देश/आदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा ।

(vi) वित्त विभाग के संकल्प सं0 279, दिनांक 25/11/2008 उपर अंकित प्रावधानों के हद तक संशोधित समझा जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

25.2.14

(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग ।

पटना, दिनांकः-25/02/2014

ज्ञापांकः-3ए-2-वे0पु0-05/2014-1900-वि0

प्रतिलिपिः-महालेखाकार (लि0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25.2.14

(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः-3ए-2-वे0पु0-05/2014-1900-वि0 पटना, दिनांकः-25/02/2014

प्रतिलिपिः-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25-2-14

(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः-3ए-2-वे0पु0-05/2014-1900-वि0 पटना, दिनांकः-25/02/2014

प्रतिलिपिः-प्रभारी पदाधिकारी (वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25-2-14

(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः-3ए-2-वे0पु0-05/2014-1900-वि0 पटना, दिनांकः-25/02/2014

प्रतिलिपिः-ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को बिहार सरकार के आगामी असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि गजट की 1000 मुद्रित प्रतियाँ प्रशाखा-3ए, वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

25-2-14

(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग ।